न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2012

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 हेमराज पुत्र भबूतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली		1 अमरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली 2 ग्राम पंचायत शिवतलाव जरिये सरपंच, तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री पृथ्वीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांक 30.03.2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 59/2001, संकल्प संख्या 3 (1) दिनांक 06.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 09.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा दिनांक 06.12.2012 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 45 वर्ष पुराने बने हुए मकान का पट्टा दिलाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.04.2001 को मिसल कायम कर दिनांक 19.04.2001 को सचिव के नक्शे एवं वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट के साथ पेश होना बताया एवं एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने का आदेश पारित किया। इसके बाद पत्रावली दिनांक 21.06.2002 को पेश होना बताया एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होना अंकित कर आगामी बैठक में बयान लिया जाना बताते हुए दिनांक 06.12.2004 को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी ने जिस हदूद बीच का मकान बताया है, न तो ऐसा मकान अस्तित्व में है एवं न ही ऐसा भूखण्ड मौके पर अस्तित्व में है। गांव शिवतलाव की आबादी भूमि इस पडौस का न तो कोई भूखण्ड स्थित है एवं न ही कोई मकान बना है। गलत एवं अवैध रूप से खसरा नम्बर 474 की कृषि भूमि में से अप्रार्थी के खरीद किये गये कृषि भूखण्ड का पट्टा जैर निगरानी आदेश से जारी करवाया गया है, जो अपास्त योग्य है। ग्राम पंचायत मात्र स्वयं के स्वामित्व की आबादी भूमि को ही विक्रय कर सकती है। किसी अन्य व्यक्ति के कृषि भूखण्ड को विक्रय करने एवं उसका पट्टा जारी करने की अधिकारिता विधिक रूप से ग्राम पंचायत को नही है। जैर अपनी आदेश एवं पट्टे

अति० जिला कलेक्टर, पाली

की जानकारी प्रार्थी को तब हुई, जब प्रार्थी अपने कब्जासुदा भूखण्ड पर निर्माण करवाने लगा, तब पता चला की कुछ समय पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अन्य पट्टे की ओट में अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टे की पूठ में एवं प्रार्थी के पट्टे के आगे स्थित रास्ते की भूमि पर दीवार निकालकर अतिक्रमण कर दिया एवं साथ ही प्रार्थी का अपने पट्टासुदा भूमि के आगे ही कृषि भूखण्ड है, उसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 ने बाड करने की अवैध कोशिश की, तो प्रार्थी ने मना किया, तब अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त जैर निगरानी पट्टा एवं आज्ञा की जानकारी हुई। जैर निगरानी आदेश एवं विक्रय विलेख से प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार है, क्योंकि जैर निगरानी आदेश एवं पट्टे की ओट में अप्रार्थी संख्या 1 ने पहले तो रास्ते की भूमि में दीवार निकालकर अतिक्रमण कर दिया एवं बाद में प्रार्थी के कृषि भूखण्ड में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसी सूरत में उक्त जैर निगरानी आदेश से प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है। नियम 157 के तहत मकान का पुश्तैनी होने की अवस्था में ही पट्टा जारी किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मौके पर न तो मकान है एवं न ही भूखण्ड है एवं केवल काल्पनिक रूप से ही जैर निगरानी आदेश एवं विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो पूर्णतः अपास्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा व उसकी पालना में जारी पट्टा निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी के पैरा संख्या 3 में भूखण्ड व मकान नही होना बताया एवं खसरा नम्बर 474 में पट्टा जारी करना बताया है, जो कि नही है। पैरा संख्या 5 विरोधाभाषी है। इस भूमि की मौका की भौतिक स्थिति को रेकर्ड पर लेने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा मौके की भौतिक स्थिति को रेकर्ड पर लेने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में जो कथन अंकित किये है, वे विरोधाभाषी है। जैर निगरानी पट्टे के आस पास तालाब की भूमि अथवा पाल नही है। तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की है, उस पर न तो पक्षकारान के हस्ताक्षर है तथा न ही नाप चौक अंकित है। प्रार्थी का अप्रार्थी से रास्ते का विवाद है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा मंगवाई गई है, जो दिनांक 16.01.2017 को न्यायालय को प्रेषित की है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को आपत्ति होती, तो वे आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र थे, किन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र अथवा ऐतराज प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिस वाद का जिक्र किया है, वह रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने से सम्बन्धित है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की भूमि पर किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नही है। खातेदारी भूमि अथवा सिवायचक भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नही है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर अपना मकान होना बताया, जबकि मौके पर कोई मकान आदि स्थित नही है। अप्रार्थी ने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसा कोई सबूत भी प्रस्तुत नही किया, जो मौके पर मकान निर्मित होने की ताईद करता हो। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त करावे।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 59/2001, संकल्प संख्या 3 (1) दिनांक 06.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 09.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुश्तैनी कब्जासुदा 45 वर्ष पुराने मकान का पट्टा बनवाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.04.2001 को मिसल कायम की गई तथा सचिव को नक्शा बनाने एवं नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किये। दिनांक 19.04.2001 की आदेशिका के अनुसार तीन वार्ड पंचों ने जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी मकान बना हुआ है तथा नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया जावे। इस पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। इस आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह किस दिनांक को जारी किया गया, कहीं भी अंकित नही है। आदेशिका दिनांक 21.06.2002 के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होना बताया एवं दो मौतबिरान के बयान हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 06.07.2002 को दो गवाहो के बयान कलमबद्ध किया जाना अंकित किया तथा यह भी अंकित किया कि गवाहो ने अपने बयानो में प्रार्थी का पुश्तैनी मकान होना बताया तथा प्रार्थी का मकान पर कब्जा 45 वर्षो पुराना होना बताया, किन्तु मिसल के संलग्न किसी प्रकार के बयान नही है एवं न ही यह स्पष्ट होता है कि गवाह कौन थे ? इसके पश्चात दिनांक 06.12.2004 को आदेश पारित करते हुए नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये।

अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है, उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा पत्रावली संख्या 59/2001 में पट्टा संख्या 22 जिस भूमि पर जारी किया गया है, वह पंचायत शिवतलाव की आबादी भूमि नही है। उक्त भूखण्ड गै0मु0 तालाब की भूमि में स्थित है, जहां पर तालाब की पाल स्थित है। आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुश्तैनी कब्जा सुदा 45 वर्ष पुराने मकान का पट्टा दिलाने हेतु निवेदन किया, किन्तु मौके पर मकान निर्मित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया तथा न ही किसी गवाह के बयान कलमबद्ध हुए, जो प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के मकान बाबत प्रस्तुत तथ्यों की ताईद करते हो। मौके पर मकान निर्मित होना प्रमाणित नही होता है, इस कारण नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नही है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रश्नगत भूमि गै0मु0 तालाब की होना बताया, जिसमें भी पट्टा जारी नही किया जा सकता है। उक्त दोनो ही कारणों से ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 59/2001, संकल्प संख्या 3 (1) दिनांक 06.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 22 दिनांक 09.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली